# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.
राजस्व दावा सं0:–79 / 2013

| | |
|---|---|
| 1. बृजमोहन सिंह<br>2. सरदार सिंह<br>3. बीरबल सिंह | पिसरान स्व. श्री कैलाशीराम जाति जाटान निवासी पाली तहसील किरावली जिला आगरा हाल अस्थाई सनहूली तहसील भरतपुर। |

**वादीगण**

**बनाम**

1. टीकम पुत्र दुरजन जाति जाट निवासी ग्राम सनहूली तहसील व जिला भरतपुर।

| | |
|---|---|
| 2. राजेश कुमार<br>3. राकेश<br>4. जीतेन्द्र | पिसरान रामबाबू जाति जाट निवासी ग्राम पाली तहसील किरावली जिला आगरा (यू.पी.) |

| | | |
|---|---|---|
| 5. राधेश्याम<br>6. रामसिंह<br>7. जगनसिंह | पिसरान नत्थी | जातियान लोधा निवासी धनौली तह. किरावली जिला आगरा हाल अस्थाई सनहूली तहसील व जिला भरतपुर (राज.) |
| 8. महाराज सिंह<br>9. मंगल सिंह<br>10. [illegible] सिंह<br>11. [illegible]<br>12. [illegible] | पिसरान डालू | |
| 13. [illegible] पत्नि स्व. पोहप सिंह | | |
| 14. [illegible]<br>15. [illegible] सिंह | पिसरान पोहप सिंह | |
| 16. [illegible] देई पत्नि सूरजभान | | |

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

17. गंगा प्रसाद
18. दिनेशचंद
19. वीरीसिंह
20. मानिक चंद उर्फ सूखा

} पिसरान सूरजभान

21. सीमा पुत्री सूरजभान नाबालिग सरपरस्त वलि माताखुद
22. प्रबंधक महोदय राज. ग्रामीण बैंक सारस चौराहा भरतपुर (राज)।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर (राज)।

**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,53
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : 1. सुरेन्द्र सिंह तुहिया
अभिभाषक वादीगण
2. श्री हरेन्द्र सिंह
अभिभाषक प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांक :—06.01.2020

वादीगण द्वारा दिनांक 18.06.2013 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण के हिस्सा बराबर की खातेदारी भूमि ख.नं. 419/1.19 बाके ग्राम सनहूली तहसील भरतपुर में स्थित है। जिस पर काबिज होकर वादीगण ताहाल तक काबिज होकर रबी व खरीब की फसल व खेत को जोतते—बोते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता स्व. कैलाशी द्वारा गत खसरा नम्बर [illegible] किता 1 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा प्रतिवादीगण 2 लगा. 4 के पिता से क्रय किया था। प्रतिवादीगण का साविक खसरा नम्बर 402, 4 बीघा 2 विस्वा का अलग नम्बर है। जो मौके पर 402 व 403 अलग—अलग है

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

व मेढबंदी भी अलग हो रही है। सैटिलमेन्ट भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 419 घटित किया है। उसमें प्रतिवादीगण 2 लगा. 4 को 61/119 का हिस्सा बराबर और वादीगण के पिता कैलाशी को 58/119 दर्ज राजस्व रिकार्ड में कर रखा है। रकबा दोनों का गत के मुकाबले कम दर्शाया गया है। भू.प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को रकबा की कमी वेशी व हेरी–फेरी, राइट ऑफ रिकार्ड को बदलने के अधिकार हांसिल नहीं है। वादीगण का साविक खसरा नम्बर 403 व रकबा 4 बीघा 12 विस्वा का रकबा 76 ऐयर राजस्व रिकार्ड में अंकित होना था। भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा 58 ऐयर रकबा दर्शाया गया है जो गत के मुकाबले 16 ऐयर रकबा दर्शाया। वादीगण अपने रकबा की कमी वेशी को न्यारानूर पूर्ति कराने के अधिकारी हैं। वादीगण, प्रतिवादीगण 2 लगा. 4 से अपने मौके व कब्जे काश्त रकबे के अनुसार विभाजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण वहिस्सा बराबर का खाता अलग कर भेज व लगान अलग करा पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 का साविक ख.नं. 404 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा बाके ग्राम सनहूली का हाल नम्बर 420 रकबा 81 ऐयर भू.प्रबन्ध विभाग ने गठित किया है। जो गत के मुकाबले तो हाल खसरा नम्बर में 11 ऐयर बढकर आया है। वादी यह घोषित करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण के हाल रकबे से 11 ऐयर रकबा कमी कराकर वादीगण के खसरा नम्बर में इजाद कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 के रकबा के [illegible] कलमजन करा कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी 5 लगा. 21 हाल खसरा नम्बर 227, 57 ऐयर बाके ग्राम सनहूली का गत खसरा नम्बरान के मुकाबले 0.5 ऐयर बढकर आया है। प्रति. संख्या 1 से 11 ऐयर प्रतिवादीगण 5 लगा. 21 से 4 ऐयर कुल रकबा 15 ऐयर जो कि खसर नम्बर हाल 419/1 का नवीन नम्बर वहक वादीगण गठित किया जावेगा अर्थात् 58 ऐयर में 15

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

ऐयर रकबा जोडा जाकर कुल रकबा वादीगण 73 ऐयर राजस्व रिकार्ड में अंकेन करा पाने के अधिकारी है तथा नक्शा बदुरस्ती नक्शा करा पाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 2 लगा. 9 से विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड राजस्व के बारे में दिनांक को कहा तो टालम टोल कर संतोषप्रद जबाव नहीं दे रहें हैं एवं प्रतिवादीगण 1 व 5 लगा. 21 से दिनांक 25.04.2013 को रकबा की कमी वेशी पूर्ति कराने बाबत् कहा तो मना कर दिया। इस कारण वादीगण द्वारा वकुलात एकत्रित करने व देने की धमकी प्रतिवादीगण रकबा को रहन वय मुन्तकिल कर देगें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि साविका खसरा नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा व हाल खसरा नम्बर 419 रकबा 1.19 सामिल प्रतिवादीगण 2 लगा. 4 व हिस्सा बराबर के साथ हिस्सा 1158/19 है. में बाके ग्राम सनहूली में तहसील भरतपुर में राजस्व रिकार्ड में बटे नम्बर डलवाये जाने व खसरा नम्बर 419 में रकबा कमी वेशी 0.58 ऐयर के स्थान पर 0.76 ऐयर रकबा प्रतिवादी नम्बर 1 तथा 5 लगा. 21 के वेशी रकबा से 16 ऐयर रकबा दुरूस्त करवा कर पूर्ति करवाने के अधिकारी है व इसी प्रकार नक्शा में दुरूस्ती किया जावे। आराजी का विभाजन करवाकर न्यारानूर खाता कायम करवाया जाकर भेज व लगान अलग–अलग बनवाये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी के आदेश से स्थाई रूप से पाबन्द करनाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 की तलवी जरिये सम्मनों से की गई। प्रति0 सं. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। प्रति. सं. 2, 11, 20 जरिये रजि. ए.डी. सम्मनों से तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक ...12.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति. संख्या 3, 4, 6, 12,

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

22, 23 की तलवी भी रजि. ए.डी. सम्मन से ...
उपथित नहीं होने पर दिनांक 27.08.15 को एकपक्षीय कार्यवाही
ई। दिनांक 7.01.16 को प्रति. सं. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
18, 21 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का
रकबा कम नहीं हो। यदि रकबा कम भी है तो प्रतिवादीगण की
राजी मे नहीं बढा है। प्रतिवादी संख्या 1 के साविक ख.नं. 404/4.4
ा हाल ख.नं. 420/0.81 है. भू.प्रबन्ध विभाग ने गठित किया है, वह
ल्कुल सही है। इसमें वादीगण का 11 ऐयर का कोई हिस्सा बढा
आ नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के क्षेत्रफल का
कलमजन कराने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा.
21 के खसरा नम्बर 227 रकबा 57 ऐयर में वादीगण का कोई रकबा 4
ऐयर बढा हुआ नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 11
ऐयर व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा. 21 से 4 ऐयर कमी वेशी प्राप्त
करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण के खातेदारी काश्तकारी की
आराजी में जब वादीगण की कोई आराजी बढी हुई नहीं है तो वादीगण
प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का
अधिकारी नहीं है और प्रतिवादीगण को अपने स्वयं की खातेदारी की
आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने को पाबन्द कराने के अधिकारी
नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादपत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया
जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18,
... को हर्जा खास 20000/– रूपये वादीगण से दिलाया जावे।

दावा एंव जबाव दावा के आधार पर दिनांक 03.03.2016 को
... तनकी कायम की गई –

**तनकी संख्या : 1 –** आया वादीगण अपने हाल ख.नं. 419 के रकबा
... 4 बीघा 12 विस्वा के समतुल्य 0.74 है. करा पाने एवं
प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 4 के हाल ख.नं. 420 में से 0.11 व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

संख्या 5 लगा. 21 ... 419/1/0.15 है. कायम करा ...
कर अपने को नया नम्बर 419/1/0.15 है. कायम करा
खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है ?

........वादीगण

**तनकी संख्या : 2 –** आया वादीगण वादग्रस्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के समभाग के कुरे कायम करा अपना पृथक खाता व लगान कायम करा पाने के अधिकारी है ?

........वादीगण

**तनकी संख्या : 3 –** आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है?

........वादीगण

**तनकी संख्या : 4 –** दादरसी ?

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संख्या 2066–69 किता 3 प्रदर्श–1,2,3, नकल मिलान क्षेत्रफल संख्या 2066–69 किता 3 प्रदर्श–1,2,3, नकल खसरा प्रदर्श–4,5, नकल जमाबन्दी संख्या 2034–37 प्रदर्श–6, नकल खसरा प्रदर्श–4,5, नकल जमाबन्दी संख्या 2036 प्रदर्श–7 एवं फोटोप्रति बयनामा दिनांक 04.06.1984 नकल संख्या 2036 प्रदर्श–7 एवं फोटोप्रति बयनामा दिनांक 04.06.1984 पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथपत्र पर बयान श्री बृजमोहन पीडब्ल्यू–1, धवल सिंह पीडब्ल्यू–2, मुरारी पीडब्ल्यू–3 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की प्रतिवादीगण द्वारा अपनी किसी भी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की है।

उभयपक्षकारान के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी वाइज निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

1. **तनकी संख्या : 1** – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा साविक ख.नं. 403/4.12 बीघा से बने हाल ख.नं. 419/1.19 के राजस्व रिकार्ड में बटे नम्बर डलवाये जाकर ख.नं. 419 में रकबा 58 ऐयर के स्थान पर 76 ऐयर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के आ.ख.नं. 420 में से 11 ऐयर कम करके एंव प्रतिवादी संख्या 5 लगा. 21 के आ.ख.नं. 227 में से 4 ऐयर रकबा से पूर्ती कर नया नम्बर 419/1/0.15 कायम कराने हेतु दादरसी चाही है। वादीगण द्वारा अपने दावा के कथनों को प्रमाणित करने हेतु नकल जमाबन्दी संख्या 2034 से पहले की नकल पेश नहीं की गई है। वादीगण द्वारा गत एवं हाल नक्शा की नकल पेश नहीं की गई है। जिससे यह पता नहीं चलता है कि वादीगण के आ.ख.नं. 419 एवं प्रतिवादीगण के आ.ख.नं. 227 एवं 420 की सीमाएं आपस में लगी हुई हैं। आ.ख.नं. 419 एवं 227 में कई खसरा नम्बरों का अन्तर है। इसलिए कमी रकबा की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए वादीगण रकबा पूर्ती करा पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2. **तनकी संख्या : 2** – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है। अपने खातेदारी की बाबत् न कोई रिकार्ड पेश किया है और न कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। वादी सम्भाग का खातेदार कृषक नहीं होने से वादग्रस्त आराजी का विभाजन करा पाने का हकदार नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **तनकी संख्या : 3** – प्रतिवादीगण विवादित आ.ख.नं. 419/1.19 है. के खातेदार काश्तकार होने से उनके विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी नहीं है। एक खातेदार काश्तकार को

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

उसकी खातेदारी आराजी पर ...

किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

4. **दादरसी –** तनकी संख्या 1, 2, 3 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जा चुकी है। अतः दावा वादीगण हमारे न्यायिक मत में स्वीकार किये जाने योग्य है।

## अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी है।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर